क्रम-संख्या–181

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 21 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 30, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 779/वि0स0-संसदीय-80(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020

संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 28 सन् 1947 की धारा 2–क का संशोधन

(2) संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 2–क के अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगेः–

''परन्तु उस कर्मकार और उसके नियोक्ता के बीच ऐसे उन्मोचन, पदच्युति छटनी या पर्यावसान से संबंधित या उसके कारण उठने वाला ऐसा विवाद या मतभेद, औद्योगिक विवाद नहीं समझा जायेगा, यदि ऐसा विवाद ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, छटनी या पर्यावसान के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर सुलह कार्यवाही में न उठाया गया होः

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी उक्त एक वर्ष की अवधि को बढ़ाने के लिये तब विचार कर सकेगा, जब कर्मकार के आवेदन से उस प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उसके पास उस विवाद को एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं उठने का पर्याप्त कारण था।''

धारा 6–ञ का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 6–ञ में, शब्द ''पचास से कम मजदूर'' के स्थान पर शब्द ''सौ से कम मजदूर'' रख दिये जायेंगे।

नई धारा 14–ग का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 14–ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थातः–

अपराधों का शमन

''14–ग (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी ऐसे अपराध का शमन, जो अधिकतम छः मास के कारावास से या जुर्माना सहित अधिकतम छः मास के कारावास से दण्डनीय हो, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने से पूर्व या पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, यथा विहित रीति से ऐसे अपराध के लिये उपबन्धित अधिकतम जुर्माने अथवा उसके किसी भाग, जो राज्य सरकार विहित करे, के साथ किया जायेगा। परन्तु इस धारा के उपबन्ध केवल प्रथम अपराध के लिये उपलब्ध होंगे।

(2) किसी अपराध का शमन किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, किसी अपराध का शमन किये जाने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी, अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरूद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया हो, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जायेगा, जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित हो और इस प्रकार अपराध शमन को संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध, इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा।''

————

उद्देश्य और कारण

औद्योगिक विवादों यथा–हड़ताल, तालाबन्दी, छटनी तथा अन्य आनुषांगिक मामलों के निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अधिनियमित किया गया है।

वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा परिणामिक प्रतिस्पर्धात्मक कार–बार संबंधी वातावरण के कारण तथा अनिश्चितकाल के लिये औद्योगिक विवाद उठाने की प्रवृत्ति से बचने के लिये सक्षम प्राधिकारी के समक्ष औद्योगिक विवाद उठाने की समय–सीमा निर्धारित करने की मांग बढती रहीं है। यह भी आवश्यक हो गया है कि औद्योगिक अधिष्ठानों में नियोजित श्रमिकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छटनी प्रतिकर एवं बंदी प्रतिकर

की धनराशि में वृद्धि की जाय। नियोक्ता संघों तथा व्यापार संघों से सम्यक् विचार–विमर्श और परामर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चित किया गया है कि औद्योगिक विवाद उठाने के लिए एक वर्ष की समय सीमा विहित करने और पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन प्रत्येक पूर्ण किये गये सेवा वर्ष हेतु पन्द्रह दिन से तीस दिन तक की छटनी और बंदी प्रतिकर में वृद्धि करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

पूर्वोक्त विनिश्चिय को लागू करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित किया गया तथा उसके द्वारा पारित किया गया था। उक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिये राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया गया था और भारत सरकार को उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिये भेजा गया था। भारत सरकार ने उक्त विधेयक मे कतिपय संशोधन सुझाए थे। भारत सरकार के सुझाव पर विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त विधेयक, 2017 को वापस ले लिया जाए और उसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2–क, 6–ञ में संशोधन करने और उसमें धारा 14–ग बढ़ाये जाने के लिए एक विधेयक राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जायेगा।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है ।

स्वामी प्रसाद मौर्य,
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन।

———

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्ध का ज्ञापन-पत्र जिसमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 के खण्ड 4 द्वारा बढ़ायी जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 14–ग में राज्य सरकार को ऐसी रीति विहित करने की शक्ति दी जा रही है जिससे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी यथा उपबन्धित अपराध का शमन करेगा।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार का हैं।

स्वामी प्रसाद मौर्य,
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन।

———

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण।

संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1947

धारा 6 (ञ) (1) (क) उस औद्योगिक संस्था पर जिसमें पूर्वगामी कलेण्डर मास में औसतन पचास से कम मजदूर नियुक्त रहे हों।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 539/XC-S-1–20-35S-2020
Dated Lucknow, September 18, 2020

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Audyogik Vivaad (Sanshodhan) Vidheyak, 2020" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 2020.

Amendment of Section 2-A of the U.P. Act no. 28 of 1947

2. In Section 2-A the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947 hereinafter referred to as the principal Act, the following provisos shall be inserted at the end of Section 2-A namely :-

"Provided that no such dispute or difference between that workmen and his employer connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute if such dispute is not raised in conciliation proceeding within a period of one year from the date of such discharge, dismissal, retrenchment or termination :

Provided further that an authority, specified by the State Government may consider to extend the said period of one year when the application of workman satisfies the authority that he had sufficient cause for not raising the dispute within the period of one year."

Amendment of section 6-J

3. In section 6-J of the principal Act *for* the words "less than fifty workmen" the words "less than one hundred workmen" shall be *substituted.*

Insertion of new Section 14-C

4. *After* section 14-B of the principal Act, the following section shall be *inserted,* namely:-

"14-C (1) Any offence committed under this Act, punishable with maximum imprisonment of six months or with maximum imprisonment of six months with fine may, or an application of the accused person, either before or after institution of prosecution, be compounded by

Compounding of offences

such officer as the State Government may by notification specify, for maximum fine provided for such offence, or a part thereof in such manner as may be prescribed:

Provided that the provisions of this section shall be available for the first offence only.

(2) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and in such manner as may be prescribed.

(3) An officer referred to in sub-section (1) shall exercise the power to compound an offence subject to the direction, control and supervision of the State Government.

(4) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(5) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing to the notice of the court in which prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 has been enacted to provide for a system of settlement of Industrial Disputes such as strike, lockout, layoff, retrenchment other incidental matters.

Due to globalization, liberalization and consequent competitive business atmosphere and to avoid the tendency to raise industrial disputes indefinitely there has been growing demand for fixing a time limit for raising Industrial Disputes before competent authority. It has also become necessary to raise the amount of retrenchment compensation and closure compensation to workmen employed in Industrial establishments for meeting their needs. After due consideration and consultation with association of employers and Industrial Disputes, it has been decided to amend the aforesaid Act to prescribe time limit of one year for raising Industrial Disputes and enhancing retrenchment and closure compensation from fifteen days to thirty days for each completed year of service under the aforesaid Act.

In order to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2017 was introduced in, and passed by, the Uttar Pradesh State legislature. The said Bill was reserved by the Governor for the consideration of the President and sent to the Government of India for obtaining the assent of the President thereon. The Government of India has suggested certain amendments in the said Bill. After considering the suggestion of the Government of India it has been decided that the said Bill of 2017 should be withdrawn and in place thereof a Bill to amend section 2-A, section-6-J and to insert section 14-C in the aforesaid Act in its application to Uttar Pradesh as suggested by the Government of India shall be introduced in the State Legislature.

The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2020 is introduced accordingly.

SWAMI PRASAD MAURYA,
Mantri,
Shram Evam Sewa Yojan.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 263 राजपत्र—2020—(664)—599+25+5=629 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

263 RPH (Industial Disputes) (Sansadiya) 2020 Data 4e